प्रेस वज्ञप्ति

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली
27 मार्च, 2023

'एकीकृत वस्त्र पार्कों के लए योजना' पर सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत

'एकीकृत वस्त्र पार्कों के लए योजना' पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की 2023 की अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट संख्या 2 आज संसद में प्रस्तुत की गई।

भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय मानकों के नए एकीकृत वस्त्र पार्कों का निर्माण करने एवं वस्त्र इकाइयों को स्था पत करने के लए वश्वस्तरीय बुनियादी सु वधाएं प्रदान करने के लए वर्ष 2005 में (10वीं योजना अव ध के दौरान) एकीकृत वस्त्र पार्कों हेतु योजना की शुरूआत की। यह योजना 11वीं योजना अव ध (2007-12) एवं 12वीं योजना अव ध (2012-17) के दौरान भी जारी थी और आगे 01 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2020 की एक और अव ध के लए जारी थी। आगे इसके तहत पूर्व में स्वीकृत परियोजनाओं को पूरा करने हेतु योजना को वर्ष 2025-26 तक बढ़ाया गया।

भारत सरकार के स्तर पर, योजना के कार्यान्वयन के लए जिम्मेदार शीर्ष प्रा धकरण वस्त्र मंत्रालय था। मंत्रालय ने परियोजना प्रबंधन सलाहकारों (पीएमसी) को नियुक्त कया जिन्होंने पार्कों की स्थापना के लए स्थानों की पहचान करनी थी, प्रत्येक पार्क में वशेष प्रयोजन तन्त्र (एसपीवी) के गठन की सु वधा प्रदान करनी थी, प्रत्येक पार्क के लए वस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करनी थी, परियोजनाओं की संरचना और उनका मूल्यांकन करना था, वत्तीय समापन प्राप्ति के लए एसपीवी की सहायता करनी थी, कार्यान्वयन की निगरानी करनी थी और मंत्रालय को समय-समय पर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी।

मंत्रालय द्वारा प्रदान कए गए आंकड़ों के अनुसार (फरवरी 2022 तक), नवंबर 2005 और जून 2016 के बीच कुल 98 पार्क स्वीकृत कए गए थे। 98 स्वीकृत पार्कों, जिनमें 26 पूर्ण पार्क, 30 निर्माणाधीन पार्क और 42 निरस्त पार्क शा मल थे, में से लेखापरीक्षा ने स्तरीकृत यादृच्छिक नमूना पद्धति के माध्यम से 10 पूर्ण पार्कों, 8 निर्माणाधीन पार्कों और 6 निरस्त कए गए पार्कों को सम्मि लत करते हुए 24 पार्कों (24 प्रतिशत) के एक नमूना आकार का चयन कया। 24 पार्कों के नमूना आकार में से, लेखापरीक्षा ने 14 पार्कों में क्षेत्रीय दौरा कया।

मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

परियोजना की योजना और कार्यान्वयन

- योजना के तहत स्वीकृत पार्कों द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति में भारी कमी थी। योजना की शुरुआत से 16 साल बीत जाने के बाद भी, रोजगार सृजन, निवेश और वस्त्र इकाइयों की स्थापना के मामले में 56 पूर्ण/निर्माणाधीन पार्कों की वास्त वक उपलब्धि क्रमशः केवल 30 प्रतिशत, 50 प्रतिशत और 37 प्रतिशत थी।

(पैरा 3.1)

- पार्कों के निर्माण में 1 वर्ष से 10 वर्ष से अ धक का वलम्ब हुआ था। पार्कों को पूरा करने में देरी के प्रमुख कारण सां व धक मंजूरी प्राप्त करने में देरी, पार्कों के लए भू म आबंटन से संबं धत मुद्दे और वशेष प्रयोजन तन्त्रों की कमजोर वत्तीय स्थिति थे। इसके अलावा, कुल स्वीकृत पार्कों में से 43 प्रतिशत को निरस्त कर दिया गया था। बड़ी संख्या में पार्कों को निरस्त करने और पार्कों को पूरा करने में अत्य धक देरी ने योजना के उद्देश्य को वफल कर दिया

(पैरा 3.2 और 3.3)

- बहुत कम संख्या में पार्क पूरी तरह से एकीकृत वस्त्र पार्क थे जिनमें वैल्यू चेन और औद्यो गक समूहों को बढ़ावा देने के लाभ थे जिससे उत्पादन लागत में कमी आती। वैल्यू चेन के केवल एक से दो खंडों के साथ बड़ी संख्या में पार्क प्रस्ता वत कए गए थे।

(पैरा 3.4)

- योजना के दिशा-निर्देशों में परिकल्पित मार्च 2007 तक 25 पार्कों के सफल समापन को सुनिश्चित कए बिना, मंत्रालय ने 11वीं और 12वीं योजना अव ध में अतिरिक्त पार्कों की स्वीकृति के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दिया।

(पैरा 3.5)

- मंत्रालय ने केवल परियोजना प्रबंधन सलाहकार की सफारिश के आधार पर और अपने स्वयं के अ धकारियों द्वारा स्वतंत्र भौतिक सत्यापन के माध्यम से सत्यता सुनिश्चित कए बिना पार्कों को 'पूर्ण' माना। लेखापरीक्षा में परियोजना प्रबंधन सलाहकारों की ओर से गलत सूचना के उदाहरण देखे गए थे।

(पैरा 3.7)

- भारत सरकार के अनुदान का 90 प्रतिशत जारी करने के बाद, मंत्रालय ने कम संख्या में फैक्ट्री इकाइयों की स्थापना के लए परिवर्तित परियोजना वन्यास को स्वीकृति दी। हालां क इकाइयों की कम संख्या के संदर्भ में पार्क को पूर्ण मानने के लए 25 प्रतिशत परिचालन इकाइयों के मानदंड को पूरा कर लया गया, परंतु पार्क की पूर्णता सुनिश्चित करने का मूल उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सका।

(पैरा 3.8)

- सूरत सुपर यार्न पार्क के संबंध में, मंत्रालय ने ₹42.30 करोड़ की लागत से चीन से 2x7.5 मेगावाट पुराने कैप्टिव पावर प्लांट (टर्बाइन और बॉयलर सहित कुछ सहायक इकाइयां) खरीदने की अनुमति दी। वर्ष 2012 में कैप्टिव पावर प्लांट की केवल एक इकाई चालू की गई थी, ले कन चालू होने के एक साल के भीतर ही यह बंद हो गई और बाद में पार्क भी बंद हो गया।

(पैरा 3.9)

- 20 निरस्त कए गए पार्कों को जारी कए गए ₹122.61 करोड़ के अनुदान में से 10 निरस्त कए गए पार्कों से ₹117.72 करोड़ के दंडात्मक ब्याज के अलावा ₹77.34 करोड़ की रा श वसूल नहीं हुई। शेष 10 निरस्त कए गए पार्कों में से जहां अनुदान की वसूली की गई थी, सात पार्कों के मामले में ₹34.75 करोड़ की रा श का दंडात्मक ब्याज वसूल नहीं कया गया था।

(पैरा 3.10)

- भारत सरकार के अनुदान जारी करने के बाद मंत्रालय को कुछ परियोजनाओं को निरस्त करना पड़ा क्यों क एसपीवी/परियोजना प्रबंधन सलाहकार सां व धक मंजूरी प्राप्त करने में वफल रहे जो परियोजना शुरू करने के लए पूर्व अपे क्षत थी।

(पैरा 3.11)

पार्कों की वर्तमान स्थिति

- नमूनाकृत 10 पूर्ण पार्कों में से, लेखापरीक्षा ने नौ पार्कों में क्षेत्र का दौरा कया और पाया क तीन पार्क, जहां कुल ₹93.60 करोड़ का अनुदान जारी कया गया था और मंत्रालय ने उन्हें सफलतापूर्वक पूरा माना था तथा अपने रिकॉर्ड में कार्यशील के रूप में दिखाया था, उन्हें बंद/शट डाउन पाया गया।

(पैरा 4.1)

- एक पार्क में गैर-वस्त्र गति व धयाँ जैसे इंजीनियरिंग कार्य, फर्नीचर कार्य, बीज प्रसंस्करण आदि चल रही थी। इसके अलावा, एक पार्क को बैंक द्वारा जब्त कर लया गया था।

(पैरा 4.2 और 4.3)

- मंत्रालय ने सामान्य अवसंरचना और सु वधाओं के निर्माण को सुनिश्चित कए बिना कुछ पार्कों को पूरा मान लया जिनकी योजना प्रारम्भ से ही उनकी वस्तृत परियोजना रिपोर्ट में बनाई गई थी।

(पैरा 4.4)

- आठ नमूना निर्माणाधीन पार्कों में से, लेखापरीक्षा ने पांच पार्कों में क्षेत्रीय दौरा कया और पाया क तीन पार्क, जहां कुल ₹79.61 करोड़ का अनुदान जारी कया गया था और जिन्हें मंत्रालय द्वारा परिचा लत माना गया था, सां व धक मंजूरी की अनुपलब्धता के कारण अटके हुए थे। मंत्रालय ने पार्कों के शुरू होने से पहले सां व धक मंजूरी की उपलब्धता सुनिश्चित कए बिना परियोजना प्रबंधन सलाहकारों की सफारिशों के आधार पर अनुदान (कुल अनुदान के 60 प्रतिशत और 79 प्रतिशत के बीच) जारी कया था।

(पैरा 4.5)

निगरानी एवं मूल्यांकन

- मंत्रालय ने दायित्वों को पूरा करने में वफल रहने के बावजूद परियोजना प्रबंधन सलाहकारों (पीएमसी) के वरुद्ध कार्रवाई नहीं की। ऐसे उदाहरण देखे गए जहां पीएमसी ने बैंकों से ऋण प्राप्त करने में वशेष प्रयोजन वाहन की सहायता करने के बजाय परियोजना के ऋण घटक के लए स्वयं एक स्वीकृति पत्र जारी कया। परिणामस्वरूप, 10वीं और 11वीं योजना अव ध के दौरान स्वीकृत पार्कों के संबंध में पीएमसी द्वारा निभाई गई भू मका में हितों का टकराव हुआ।

(पैरा 5.1 और 5.2)

- परियोजना अनुमोदन स मति द्वारा पार्कों की प्रगति की समीक्षा एक स्वतंत्र कार्य नहीं था बल्कि परियोजना प्रबंधन सलाहकार/एसपीवी द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं पर आधारित था।

(पैरा 5.3)

- मंत्रालय ने योजना में भागीदारी के लए राज्य सरकारों को शा मल नहीं कया और पार्कों के अनुमोदन से पूर्व मंत्रालय द्वारा उनकी सफारिशें नहीं मांगी गईं। परियोजनाओं

के उ चत चरण पर राज्य सरकारों की गैर-भागीदारी परियोजना की वफलता के प्रमुख कारणों में से एक थी क्यों क भू म मुद्दों, बिजली आपूर्ति, जल आपूर्ति और सां व धक मंजूरी के कारण व भन्न परियोजनाएं प्रभा वत हुईं।

(पैरा 5.4)

- वस्त्र मंत्रालय एवं अन्य हितधारकों के प्रतिनि धयों सहित जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में पार्कों की प्रगति के समन्वय एवं निगरानी के लए एक जिला स्तरीय समन्वय स मति का गठन कया जाना था कंतु उसे मंत्रालय द्वारा गठित नहीं कया गया था।

(पैरा 5.5)

- योजना के दिशा-निर्देशों में पार्कों की निगरानी में वस्त्र आयुक्त/क्षेत्रीय वस्त्र आयुक्तों की कसी भू मका की परिकल्पना नहीं की गई थी।

(पैरा 5.6)

BSC/SS/N/